Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2585280
Web: www.kanpuruniversity.org
e-mail I.D.-coe@kanpuruniversity.org

	OFF.	RESI.
V.C. :	2581280	2584280
REGI.:	2580044	2580281
Office :		

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं0: सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/1164/2021

दिनांक : 28/05/2021

कार्यालय-ज्ञाप

सत्र 2019–20 में एम0ए0–प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों की परीक्षाएँ कोविड–19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियोंवश लॉकडाउन हो जाने के कारण सम्पन्न नहीं करायी जा सकी थी। तद्क्रम में एम0ए0 प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों को प्रमोशन नियमावली के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जा चुका है। वर्तमान में ऐसे छात्र एम0ए0 द्वितीय वर्ष में प्रवेशित हैं तथा एम0ए0 द्वितीय के अधिकांश विषयों में लघुशोध प्रबन्ध(Dissertation) का भी प्रश्नपत्र उपलब्ध है जिसे एम0ए0 प्रथम वर्ष में 55 प्रतिशत अंक होने पर ही परीक्षार्थी को उक्त विषय (Dissertation) प्रदान किया जाता है, परन्तु एम0ए0 प्रथम वर्ष के छात्रों का प्रमोशन होने के कारण उंनके अंकों का निर्धारिण द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्ष–2021 में किया जायेगा।

अतः उपरोक्त के क्रम परीक्षा समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार, एम.ए. द्वितीय वर्ष–2021 की परीक्षा में छात्र द्वारा वैकल्पिक प्रश्नपत्र में सैद्वान्तिक प्रश्नपत्र का चयन किया जायेगा तथा एम0ए0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा सम्पन्न होने पर प्राप्त अंकों के आधार पर तद्नुसार प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम पूर्ण किए जाने के उपरान्त यदि छात्र/छात्रा को एम0ए0 प्रथम वर्ष में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं तो उनके द्वारा द्वितीय वर्ष हेतु लघुशोध प्रबन्ध(Dissertation) का चयन किए जाने पर सैद्वान्तिक प्रश्नपत्र को हटाते हुए एक निर्धारित समयावधि में उनके लघुशोध प्रबन्ध (Dissertation) सम्बन्धी समस्त कार्यवाही को पूर्ण कराते हुए द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा निर्गत किए जाते हैं।

डॉ0(अनिल कुमार यादव)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव(अतिगोपनीय/परीक्षा/कोडिंग)।
2. प्रभारी–कम्पयूटर केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
3. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. प्रशासनिक अधिकारी, परीक्षा/अतिगोपनीय।
5. वैय0 सहायक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

परीक्षा नियंत्रक